by naming the Central Universities after them. There are many different ways by which we can honour them.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I have included only two names in my question. An addition of other names is also welcome. The question is that, recently, you have had a very good idea of setting up a Central University in the name of Dr. Ambedkar. I appreciate that. I am not opposing it. I am not asking why you did this. Sardar Patel had followed the Congress ideals. He had made his own mark. Mahatma Gandhi is a world recognised thinker and practitioner of non-violence. When you have founded the JNU to further the ideals of Pandit Nehru, why have you never thought of having a university in the name of Gandhiji and in the name of Sarder Patel? I appreciate Subhas Babu and Maulana Azad. These names should be considered in future. Will you consider these names when you open new universities in future?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Minister, will you consider these names?

KUMARI SELJA: As I said earlier, he has mentioned only a few names here. There are many other great leaders also. (*Interruptions*)..

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I have only mentioned four names. Why don't you consider them?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister said, "There are other great leaders also". She has answered your point very clearly.

SHRI SANJAY DALMIA: I would like to know from the Hon. Minister whether on the 125th Anniversary of Mahatma Gandhi, the Government would consider naming the Delhi University or one of the Central Universities after Gandhiji.

KUMARI SELJA: Sir, there is no such proposal.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, I can understand the anxiety of Shri Chimanbhai Mehta to name Central Universities after our national leaders. Sir, in our country we have 25 universities which are under the State sector. They are not statutory universities and they are not recognised by the University Grants Commission. These universities, as they are illegal, are using the names of national leaders. I would like to know from the hon. Minister whether they will initiate action to request those universities which have no statute and which are not recognised by the University Grants Commission to withdraw these names.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Minister, he is referring to the unrecognised universities which are after the names of national leaders.

KUMARI SELJA: Sir, since they are unrecognised and fake universities, the question of recognising them does not arise.

SHRI JOHN F. FERNANDES: These names are protected under the National Honours Act. They cannot misuse these names. It is a shame that the illegal *bastis* and slums are using the names of national Leaders to legalise them. This is my point.

KUMARI SELJA: Sir, the UGC is not the proper forum or proper body to take action in this connection.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Question No. 291.

Tenders for Diamond Mining contract in Madhya Pradesh

*291. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have invited tenders, both national and global, to award diamond mining contracts in Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the names of the companies bidding for the contract; and

(c) what is the decision, if any, taken by Government in this regard?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ख) जी हां, । मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके उत्तर में निम्नलिखित कम्पनियों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :-

1. सी॰आर॰ए॰ एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, आस्ट्रेलिया।
2. एश्टन माइनिंग इंडिया प्राइवेट लि॰ नई दिल्ली।
3. आस्ट्रेलियन किम्बरले डायमंड, वैस्टर्न आस्ट्रेलिया।
4. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन हैदराबाद।
5. रिलायेंस इण्डस्ट्रीज लि॰, नई दिल्ली।
6. मैं. बीयर्स सेन्टेनरी, स्विटजरलैण्ड।
7. क्लफ रिसोर्सिज पैसिफ लि॰, आस्ट्रेलिया।
8. स्टॉक वैल प्रोस्पैक्टिंग लि॰ आस्ट्रेलिया।
9. एंग्लो अमेरिकन कारपो॰ ऑफ साउथ अफ्रीका लि॰, साउथ अफ्रीका।
10. कोरर स्टेन डायमंड इंटरनेशनल लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
11. काशी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लि॰, सूरत।
12. रतन जैम्स कारपोरेशन।
13. हिन्दुस्तान अलॉयज मैन्युफैक्चरिंग कं॰लि॰, बम्बई।
14. जियोमैसूर सर्विसेज़, बंगलौर।
15. जियोटैक्नीका, जियोसाइंटिफिक एण्ड जियोटैक्निकल कंसलटैन्सी सर्विसेज़, देहसदून।
16. नारने मिनरल्स लि॰ सिकन्दराबाद।
17. एम॰ बी॰ भादुड़ी एण्ड कं॰ भिलाई।
18. डायमण्ड मिनरल्स लि॰ कलकत्ता।
19. ज्ञान श्याम दास व्यास, जौधपुर, राजस्थान।
20. जियोलॉजिकल एसोसिएशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, बालाघाट, मध्य प्रदेश।
21. नव भारत फ्यूज कं॰ प्रा॰ लि॰, रायपुर, मध्य प्रदेश।
22. एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ लिमिटेड, नई दिल्ली।
23. आर॰ एल॰ एग्रोटैक लिमिटेड, रायपुर, मध्य प्रदेश।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Mr. Vice-Chairman, Sir, before I come to the question, I would like to mention that the matter relating to this question does not relate only to the Government of Madhya Pradesh as the hon. Minister has mentioned in his reply. The Chief Minister of Madhya Pradesh is on record as having stated to the reporters of *The Indian Express* that the final decision will be taken by the Centre. It was further clarified by Shri Paswan, Principal Secretary, Forest and Mining Department of the State Government that if mining area is above the specified limit, the decision has to be taken by the Central Government and not by the State Government. Against this background, I would like to state that the Raipur diamond mines are known to have rich reserves of diamond and alexandria. But, unfortunately, large-scale illegal mining is going on in that area. The Chief Minister of Madhya Pradesh himself has admitted it. If diamonds are mined in a systematic and organised manner, it would give boost to our export of diamonds. My first question is, (a) Has the Government of India cared to direct or advise the State Government to protect the mines properly so that illegal mining is stopped? (b) Has the Centre any idea as to what the quantum or effect is of illegal mining? (c) What are the potential reserves of diamonds in these mines?

श्री बलराम सिंह यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बिरला जी ने यह कहा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश से संबंधित ही इस प्रश्न का जवाब दिया गया है, उस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज़रा अपना प्रश्न देखें। आपने प्रश्न किया है कि क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में हीरों के खनन के लिए ठेके देने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं, यदि हां, तो इस ठेके के लिए निविदाएं देने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और यदि सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है, तो वह क्या है? प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है। जहां तक अन्य बातों का आपका सवाल है, यह बात सही है कि मध्य प्रदेश में यह शिकायतें आती रही हैं। ....कि हीरे की या अन्य जो बहुमूल्य रत्न हैं उनकी चोरी चपाटी भी होती रही है, ऐसी शिकायतें निश्चित रूप से आती रही हैं इसकी हमको जानकारी है और उस संबंध में जो भी एक्शन होता है वह एक्शन राज्य सरकार लेती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकर ने भी इसमें जहां कुछ शिकायतें आई हैं वहां पर कुछ एक्शन लिया होगा। जहां तक केन्द्र के डाइरेक्शन

की बात है, केन्द्र तो निश्चित रूप से अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है जहां पर हीरे या जेम स्टोन की चोरी की बात होती है तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच के लिए और उस पर प्रभावी कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को लिखते हैं।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Mr. Vice-Chairman, before I ask my second supplementary, I would like to state that the Minister does not seem to have come prepared to answer part (b) of my question, i.e., has the Centre any idea about the quantum and the effect of illegal mining in those areas? He has not given any reply to this question. If he does not have any reply just now, I would request him to at least try to find out what the effects are and send to me a note on this. This is the least that he can do. The answer to part (c) of my question, i.e., what are the potential reserves for diamonds in those areas, is also not given. For this also, no reply has been given. In case he does not have any ready reply, let him again send a note to me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Minister, do you have any information to give on his questions?...(*interruptions*)....The Minister would like to give a reply.

श्री बलराम सिंह यादव: जहां तक डायमंड माइनिंग के क्वांटम का सवाल है। यह जानकारी हमारे पास नहीं है इस समय। लेकिन अगर इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास हुई तो मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को इसके बारे में जानकारी करा दूंगा। जहां उसका कितना रिजर्व है यह सवाल है, इसके बारे मैं मान्यवर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो आर्थिक प्लानिंग हमारे देश के अंदर हुई है, जो हम 1993 में नयी मिनरल पालिसी को लाए हैं, भारत के अंदर हमारे पास जो आधुनिकतम तकनीक है उसकी भी कमी है और उसके साथ साथ हमारे पास इन्वेस्टमेंट की भी कमी है। इसीलिए जो नीति में हम परिवर्तन लाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने उससे लाभ उठाने की कोशिश की है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज मैं यह समझता हूं कि नयी तकनीक चाहे वह भारतीय कम्पनियां ही वे लाती हैं या विदेशी कम्पनियां लाती हैं नयी तकनीक और इन्वेस्टमेंट ये दो मुख्य मुद्दे हैं जिनके आधार पर पूर्वेक्षण करने के बाद ही यह असेस किया जा सकता है कि रिजर्व्स कितने हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रिजर्व्स कितने हैं तो पूर्वेक्षण ....(**व्यवधान**) के बाद ही इसमें कुछ असेसमेंट हो सकता है कि वहां पर डायमंड के कितने रिजर्व्स हैं।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Sir, my second supplementary is this ... It is understood that the State Government has issued global tenders for giving mining rights in those areas and there are three foreign companies, i.e., Beers of South Africa, Ashton Mining and CRA Exploration Limited, Australia, who have tendered and who have been shortlisted. Globalisation is part of our revised economic policy. There is no dispute about this. There is no question so far as this is concerned. But globalisation does not mean that we should go out of our way to invite foreign companies to participate in an industry where Indian entrepreneurs are available and funds are also available. For diamond mining, there are a large number of Indian firms interested in diamond mining. My second question, therefore, is what the necessity was for issuing global tenders and why the tenders could not be confined only to the Indian bidders.

श्री बलराम सिंह यादव: महोदय, भारत सरकार ने जो नयी मिनरल पालिसी घोषित की है उस नयी मिनरल पालिसी के तहत चाहे वह भारत की कम्पनियां हों चाहे वे विदेशी कम्पनियां हो हर एक को ही टेंडर डालने का और प्रस्ताव भेजने का अधिकार है। विदेशी कम्पनियां जो हैं उनके ऊपर भी जब वे भारत के अंदर आएंगी ....(**व्यवधान**) तो उनको इंडियन कम्पनीज एक्ट के अंदर यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनको भारत के तमाम नियम और कायदे कानूनों को मानना होगा। तो मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय कम्पनियों के लिए भी कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हो सकता है कि भारतीय कम्पनियां इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में हों। लेकिन भारतीय कम्पनियों के पास क्या आधुनिकतम टैक्नोलोजी है और जो हमारी अरबों रुपये की संपदा जमीन के अंदर छिपी हुई है जिसका हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं और जिसका सरकार फायदा नहीं उठा पा रही है। उसके लिए अगर कोई विदेशी कम्पनी आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरे यह है कि देसी कम्पनी अगर चाहे तो ज्वाइंट वेंचर में वह विदेशी कम्पनी के साथ में आ सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है। इसलिए जो तीन मैं बता रहा हूं, मान्यवर, इसमें ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस हेतु एक समिति बनाई थी। यह जो 23 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थीं इसमें देसी-विदेशी सभी कम्पनियां हैं। एक समिति बनाई थी और इस समिति के सदस्य मुख्य

सचिव, वित्त सचिव, मुख्य सचिव, खनिज संसाधन विभाग, सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग विभाग, निदेशक, भू-विज्ञान और खनन, रायपुर और महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, खान विभाग थे। इन्होंने बहुत गहराई से हर बिन्दु पर विचार किया है। खास तौर से उन्होंने यह देखा है कि यह जो कम्पनियां हैं इनकी आर्थिक स्थिति क्या है और वह आर्थिक स्थिति इसलिए कि इस सैक्टर में बहुत रिस्क फैक्टर इन्वाल्व होता है। मान लीजिए उन्होंने प्रोसपैक्टिंग किया और उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला तो इन्वेस्टमेंट सब बेकार गया। इसलिए इन्वेस्टमेंट फैक्टर बहुत है। इसलिए ऐसी कम्पनी जिसकी आर्थिक स्थिति साउंड है, बहुत अच्छी है, उसको तरजीह दिए जाने के बारे में उन्होंने कहा है।

दूसरे एक टैक्नोलोजी है। आज टैक्नोलोजी किसके पास अच्छी है। कौन टैक्नोलोजी दे सकता है, किसके पास डायमंड माइनिंग का अनुभव है, किसके पास प्रोसैसिंग का अनुभव है, इन तमाम बिंदुओं पर विचार करने के बाद उन्होंने पहले यह पांच कम्पनियां सी.आर.ए. एक्सप्लोरेशन लि., एशटन माइनिंग इंडिया लि., डे बीयर्स सेन्टेनरी, स्विटजरलैण्ड, नेशनल मिनरल डिवेलपमेंट कार्पोरेशन, हैदराबाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली, यह भारत की है, इनको शार्ट लिस्ट की है इसके बाद इन पांचों कम्पनियों से आगे चलकर इन्होंने नेगोसिएशन किया है और नेगोसिएशन करने के बाद इन्होंने अभी तो शार्ट लिस्ट किया है उसमें तीन कम्पनियां हैं, डे बीयर्स, सी.आर.ए. और एशटन। अभी कोई फाइनल इसमें निर्णय नहीं हुआ है और यह मामला अभी मध्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

श्री सुरेश पचौरी: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के रायपुर के मैनपुर, देवभव, दरियाबन ब्लाकों में हीरों का, एलेग्जेंडरिया का और कई बहुमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। पर मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि 23 कम्पनियों से उन्होंने प्रस्ताव बुलाए और तीन जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं वे उन्होंने शार्ट लिस्ट की हैं। ये कम्पनियां आधुनिक तकनीक व विशेषज्ञता के साथ हीरों का सही उत्खनन करें तथा सर्वेक्षण में बहुत ज्यादा खर्च न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं? निविदा में जो शार्ट लिस्टेड तीन बहुराष्ट्रीय कम्पनियां की गई हैं इनका विश्व में हीरों के उत्खनन के मामले में क्या रेपुटेशन है? साथ ही इस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकने के लिए आपकी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं तथा खुदाई में प्राप्त रत्नों का कितना हिस्सा रायल्टी के रूप में मध्य प्रदेश को मिलेगा?

श्री बलराम सिंह यादव: मान्यवर, प्रश्न को माननीय सदस्य ने काफी लंबा कर दिया है, लेकिन इस संबंध में जहां तक इलीगल माइनिंग का प्रश्न है उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ शिकायतें प्रकाश में आई हैं। और ला एंड ऑर्डर चूंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकार क्षेत्र की बात है और वह एक्शन लेती है। हमारे पास अगर शिकायतें आती हैं तो मैं भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजता हूं। मान्यवर, जो तीन कम्पनीज शॉर्टलिस्ट की गयी हैं, इस संबंध में मैं थोड़ा सा पहले भी प्रकाश डाल चुका हूं। इसमें सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि यह कम्पनी इनवेस्टमेंट करने की स्थिति में है कि नहीं क्योंकि जैसाकि मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत हैवी इनवेस्टमेंट इनवॉल्वड है, इसलिए पहले यह देखा जाता है कि यह कम्पनी इनवेस्टमेंट कर सकती है कि नहीं। इतना बोझा उठा लेगी कि नहीं। दूसरे जो लेटेस्ट टैक्नोलोजी है, वह किस कम्पनी के पास अच्छी है, मार्केटिंग सिस्टम किस पार्टी के पास अच्छा है और विश्व व्यापार में किस पार्टी का कितना योगदान है। इन तमाम बातों को देखा जाता है। मान्यवर, उसी दृष्टिकोण से यह डिबीयर्स की जो आर्थिक स्थिति है, 31 दिसम्बर, 1993 को इसकी कुल परिसंपत्तियां 9 हजार मिलियन अमरीकी डॉलर्स से अधिक थीं। सी.आर.ए. एक्सप्लोरेशन कम्पनी की परिसंपत्तियां 4 हजार मिलियन अमरीकी डॉलर्स हैं और एस्टर्न मायनिंग कम्पनी की कुल परिसंपत्तियां 116 मिलियन डॉलर्स हैं। मान्यवर, इसमें लगभग 25 करोड़ रुपए का इनवॉल्वमेंट सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग में होगा, लेकिन उसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, यह तो भविष्य ही बताएगा। इस तरह से जहां तक परियोजना पर खर्चे का संबंध है, प्रोस्पेक्टिंग पर डिबीयर्स ने 8.75 मिलियन अमरीकी डॉलर्स, एस्टन ने 5 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तथा सी.आर.ए. ने 4.5 मिलियन डॉलर्स दर्शाया है और जैसाकि अभी मैंने बताया इसका फायनल निर्णय नहीं हुआ है। यह मामला स्टेट गवर्नमेंट के विचाराधीन है। तो जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं या प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको सूचित कर रहा हूं।

श्री अजीत जोगी: उपसभाध्यक्ष जी, जिस क्षेत्र में हीरे की खदानें मिली हैं, वह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर सबसे गरीब लोग रहते हैं और सौभाग्य से वहां हीरे की खदानों की खोज हुई है जिस तरह से मंत्री जी ने अभी तक उत्तर दिया है, उससे यह प्रतीत होता है कि हमारा लक्ष्य यह है कि हीरे की इन खदानों का पूरा लाभ

विदेश के लोग ले जाएं और वहां जो गरीब, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको इसका कोई फायदा न मिले। आदिवासियों की हमेशा से यह नियति रही है और उसी नियति को आगे बढ़ाने का काम सरकार करने जा रही है क्योंकि एक तो ग्लोबल टेंडर्स बुलाए गए जोकि मायनिंग एक्ट में परमिटेड नहीं हैं। फिर आपने बताया कि उसमें 23 लोगों ने आवेदन दिए जिसमें कि भारत की कम्पनियां भी हैं और आपका खुद का नेशनल मायनिंग कार्पोरेशन भी था। उनके क्लेम को अनदेखा कर के विदेशी कम्पनियों को आप हीरे का व्यापार देना चाहते हैं, हीरे की खदानें देना चाहते हैं। उन आदिवासियों के लिए एक पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं जबकि वहां अरबों रुपए का हीरा निकलेगा और सारे-का-सारा पैसा विदेशी कंपनियां ले जाएंगी। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक यह जो प्रक्रिया चल रही है क्या उसको आप तत्काल रोकेंगे? आप ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाइए जिससे कि वहां का गरीब, निर्धन जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, भूखा है, उस आदिवासी को भी कुछ फायदा हो। यह काम आप स्थानीय कंपनियों को दीजिए अगर आप कहते हैं कि उनके पास टैक्नो[illegible]ी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वह बाहर की कंपनियों से कॉलोबोरेट कर लेंगी। बिड़ला जी बैठे हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी है। इसमें 23 कंपनियां हैं, आप बता रहे हैं कि रिलायंस ने भी आवेदन किया है, और भी कंपनियां हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। तकनीक का जहां तक सवाल है, वह तकनीक बाहर से ले आएंगे। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वहां के स्थानीय आदिवासियों का दोहन कर के, उनका शोषण कर के पूरा फायदा विदेश के लोगों को दिलाना चाहते हैं? इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इस पूरी नीति को परिवर्तित करेंगे और ऐसा करेंगे कि वहां जो गरीब, आदिवासी रह रहा है, उनको लाभ मिले?

श्री बलराम सिंह यादव: जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि किसी देशी कम्पनी को इन्वाल्व किया जाए क्योंकि खतरा है कि सारा लाभ विदेशी कम्पनियां ले जाएंगी, यह आशंका उनकी निराधार है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एन.एम.डी.सी., पन्ना में जो हमारी स्टील मिनिस्ट्री का एक सरकारी उपक्रम है, वहां पर एक्टिविटीज़ कर रहा है, माइनिंग कर रहा है लेकिन विगत जो अनुभव रहा है, एन.एम.डी.सी. के पास इतनी टैक्नोलॉजी नहीं है, आधुनिकतम तकनीकी नहीं है और धन की भी उनके पास कमी रहती है। ....(व्यवधान)..

श्री अजीत जोगी: टैक्नोलॉजी नहीं है तो मंत्री जी कहिए न कि टैक्नोलॉजी ले आएं वे।

श्री बलराम सिंह यादव: आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अजीत जोगी: 20 परसैंट रॉयल्टी अभी हीरे पर थी, उसको 10 परसैंट कर दिया है।

श्री बलराम सिंह यादव: आप मेरी बात तो सुनिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the Minister answer the point. Mr. Minister, you kindly answer the point raised by the hon. Member.

श्री बलराम सिंह यादव: तो, मान्यवर, उनके पास आर्थिक तंगी है, जो मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट ने लिखकर भेजा है, जो मेरे पास सूचना आई है और उनके जो पिछले क्रियाकलाप रहे हैं, वे भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को संतुष्ट नहीं करते हैं। जो मेरे पास इन्फरमेशन आई है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

जहां तक दूसरी भारतीय कम्पनियों का सवाल है, भारतीय कम्पनियों के लिए कोई होप नहीं है। अगर किसी के पास कोई टैक्नोलॉजी नहीं है, किसी के पास तकनीकी नहीं है तो वह विदेशी अच्छी कम्पनी के साथ कोलोबरेट कर सकते हैं और फार युअर इन्फारमेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि "रिलायंस इंडस्ट्री" जो है, उनकी "सिआरे" के साथ टाई-अप करने की बातचीत चल रही है, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट ने हमको सूचना दी है और जो माननीय सदस्य की यह आशंका है कि वहां पर जो आदिवासी रहते है, गरीब लोग रहते हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाए, तो, मान्यवर, ऐसा है कि जो नेगोसिएशंस आगे चलकर होंगी, स्टेट गवर्नमेंट ने खुद हमको सूचित किया है कि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन्स और जो नेगोसिएशन्स आने वाले वक्त में होगी इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए, उसमें हम इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे कि वहां पर जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं या गरीब लोग हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए ...(व्यवधान)...

श्री अजीत जोगी: उनको इसमें हिस्सा दिला दीजिए।

श्री बलराम सिंह यादव: तो, मान्यवर, स्टेट गवर्नमेंट इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जब इन्हें पता ही नहीं कि कितना डिपाजिट है और उसके बाद भी इन्होंने टेंडर काल कर लिए, ग्लोबल टेंडर। आपको पता ही नहीं कि आपके पास हीरे कितने हैं,

तो आप इसके लिए टेंडर कैसे असैस करने जा रहे हैं? हो सकता है कि आपके पास अरबों-खरबों रुपए के हीरे हों और लाखों में आप उस खान की माइनिंग को लीज़ पर दे दें और हो सकता है कि वहां पर कुछ नहीं निकले, कुछ दिन बाद वहां पर नेच्युरल ग्रेफाइट निकले, हीरा निकले ही और उसकी फिज़िब्लिटी रिर्पोट खराब हो और आप उसके लिए ज्यादा पैसे मांग रहे हों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डिपाज़िट कितने हैं और आज जब नई टैक्नोलॉजी उपलब्ध है कंट्री में सैटेलाइट रिमोट सैंसिंग यूनिट, तो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे भूगर्भ में क्या-क्या चीज उपलब्ध है और उसकी सीमा कितनी है और उसके अंदर कितने परसैंटेज रिकवरी होगी, वहां जब खदान में खुदाई होती है, उसके बाद उसमें रिकवरी कितनी होगी क्योंकि हीरा जब भी पाया जाता है, वह नेच्युरल ग्रेफाइट के साथ-साथ पाया जाता है। हीरा 100 परसैंट कार्बन है और वह नेच्युरल ग्रेफाइट के साथ-साथ पाया जाता है, तो उसमें रिकवरी कितने परसैंट होगी, रायपुर इलाके की रिकवरी कितने परसैंट है, यह बताने की कृपा करेंगे और रिमोट सैंसिंग सैटेलाइट यूनिट के माध्यम से आपने कोई खोज करवाई है या नहीं? अगर करवाई है तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव: मान्यवर, इसके लिए तमाम देश के समाचार पत्रों में और विदेश में जो हमारे दूतावास हैं, उनको भी लिखकर दिया गया कि जो भी प्रख्यात कम्पनियां हों, भारत के अंदर आएं और अपना प्रस्ताव इसके लिए भेजें। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक भंडारों के पुष्टिकरण का सवाल है, भंडारों के पुष्टिकरण तभी हो सकते हैं जब इसकी प्रोस्पेक्टिंग हो और प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके पास टैक्नोलॉजी नहीं है, जैसा मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं और वहां पर यह बात प्रमाणित है कि वहां पर हीरे पाए जाते हैं। तो टैक्नोलॉजी लाने के लिए, अगर लाभकारी होगा तो फिर उसका एक्सप्लोरेशन होगा, इससे देश को फायदा ...(व्यवधान)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: सर्वे के लिए आपने ग्लोबल टेंडर किए हैं या कमर्शियल एक्सप्लोरेशन के लिए किया है?

श्री बलराम सिंह यादव: दोनों चीजों के लिए किया है। प्रोस्पैक्टिंग के लिए भी। जी.एस.आई. आपका है। आई.बी.एम. आपका है। यह पुष्टि करते हैं कि वहां पर फलां मिनरल पाया जा सकता है। आपके पास टैक्नोलोजी नहीं है इसीलिए विदेशी टैक्नोलोजी के जो प्रोस्पैक्टिंग के लिए और इसके बाद माईनिंग के लिए दोनों परपज के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या विदेशी कम्पनियों ने बिलासपुर जिले में भी कोई इच्छा जाहिर की है। कि वहां पर भी हीरा मिल सकता है? क्या सर्वेक्षण के लिए उन्होंने ऐसी अनुमति मांगी है और क्या हमारी प्राईवेट कम्पनियों ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है और खुदाई की भी अनुमति रायगढ़ और बिलासपुर के लिए मांगी है या नहीं?

श्री बलराम सिंह यादव: मान्यवर, रायपुर के बारे में मुझे जानकारी है। रायपुर के बारे में प्रस्ताव दिए हैं और जहां तक माननीय सदस्या का प्रश्न है, स्टेट गवर्नमेंट से जो इंफार्मेशन आई है...(व्यवधान) मैं जानकारी करके माननीय सदस्या को बतला दूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Notifying the Lists of OBCs

*281. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what are the names of the State Governments which have notified the lists of OBCs in their respective States;

(b) whether Government have notified the OBCs in NCT of Delhi; if not, what are the reasons for delay in notifying the list of OBCs;

(c) what are the reasons for non-publication of the lists of OBCs by the remaining State Governments; and

(d) whether it is a fact that nonpublication of the OBCs lists is hampering the employment opportunities for persons belonging to these OBCs in Government jobs?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) As on the date of the Supreme Court judgement in the Mandal Case i.e. on 16.11.1992, fourteen States had already notified the list of OBCs for the purpose of reservation in the State services. These are Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharastra, Madhya Pradesh, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.

Subsequently, the State Governments of Orissa, Rajasthan, Tripura, West Bengal and